

DIRECTORATE OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT, DEPARTMENT, HARYANA

Advertisement

Applications from eligible persons are invited for appointment of Chairperson/ members of Child Welfare Committee constituted for 21 districts in the State for the following categories under Juvenile Justice(Care and Protection of Children) Act,2000 (as amended in 2006)

I Applicant has to mention the following information in his application.

- (i) Name
- (ii) Father/Husband name
- (iii) Permanent address
- (iv) Correspondence address
- (v) Telephone Number/Fax No./Email ID
- (vi) Date of Birth as per certificate of high School.
- (vii) Present Age.
- (viii) Educational qualification
- (ix) Experience of Social Work and other child related fields.
- (x) Having Domicile of Haryana state

For such candidates who have already applied against any category earlier need not apply again as their old applications will be considered.

a) Category and Qualification

(i) Chairperson:- For all the districts in Haryana State (except n Jind and Fatehabad.)

A person not less than 35 years of age . A person to be selected as Chairperson of the committee shall have either of the following qualifications graduate degree in social work psychology, Child development, education, Sociology, law criminology and where such a person is not available, a person

with at least graduate degree in any of the social science disciplines having minimum of 7 years of exp in their field.

- ii) **Member** : Trained Teacher who has been involved in work concerning children in addition to a minimum of seven years experience in their respective field.
- iii) **Member** :- : Trained Doctor who has been involved in work concerning children in addition to a minimum of seven years experience in their respective field.
- iv) **Social Worker** :- (**applications are invited from distt Faridabad , Fatehabad and Narnaul only**). At least 12th pass or equivalent who has been involved I work concerning in addition to a minimum of seven years experience in their respective field
- v) **Expert on matter concerning children**:- At least 12th pass or equivalent who has been involved in work concerning children in addition to a minimum of seven years experience in their respective field.

- Note 1: No person shall be considered for selection as a Chairperson/Member Child Welfare Committee, if he/she,
- (i) has been convicted under any law ;
 - (ii) has ever indulged in child abuse or employment of child labour or any other human right violations or immoral act;
 - (iii) is holding such other occupation does not allow him to give necessary time and attention to the work of the Committee.

- Note 2: The member of the Committee shall be paid as travel and sitting allowance, rupees five hundred per sitting.

Note 3: Applicant who are eligible will send their applications and Bio Data along with their certificates of educational qualifications, experience and submit the same to Programme Officer, ICDS Cell of concerned district of this department by **28-8-2012** positively.

Director General,
Women & Child Development Deptt.
Bays no. 15- 20 Pocket-II, Sec.4, Panchkula.

महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा ।
(विज्ञापन)

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संशोधित अधिनियम 2006) के अर्न्तगत राज्य के 21 जिलों में बाल कल्याण समिति के गठन हेतु निम्न वर्ग अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति के लिये योग्य उम्मीदवारों से निम्न प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाने हैं ।

(I) आवेदक अपने आवेदन में निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख करेंगे ।

- (i) नाम
- (ii) पिता /पति का नाम
- (iii) स्थाई पता
- (iv) पत्राचार पता
- (v) दूरभाष न0 /फैक्स न0/ईमेल आईडी0
- (vi) उच्च विद्यालय के प्रमाण पत्र अनुसार जन्म तिथि
- (vii) वर्तमान आयु
- (viii) शैक्षणिक योग्यतायें
- (ix) संबंधी क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र
- (x) हरियाणा निवासी होने का प्रमाण –पत्र ।

(II) जिन व्यक्तियों ने पहले आवेदन किया हुआ है वे पुनः आवेदन कर सकते हैं ।

(ए) वर्ग /योग्यताएं :-

योग्य व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिये ।

- **अध्यक्ष :-** जिला जीन्द व फतेहाबाद को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में वह समाजिक कार्य,स्वास्थ्य, शिक्षा,मनोविज्ञान,बाल विकास अथवा समाजिक विज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो । इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिये ।
- **सदस्य :** प्रशिक्षित अध्यापक जो बच्चों से संबंधित कार्य में लगे हुये हैं । और इसके अतिरिक्त उन्हे संबंधित क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का अनुभव होना चाहिये ।
- **सदस्य :** प्रशिक्षित डाक्टर जो बच्चों से संबंधित कार्य में लगे हुये हैं । और इसके अतिरिक्त उन्हे संबंधित क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का अनुभव होना चाहिये ।

- समाजिक कार्यकर्ता : (केवल जिला फरीदाबाद, फतेहाबाद तथा नारनौल के लिये) न्युन्तम बारहवीं पास या समकक्ष जो बच्चों से संबंधित कार्य में लगे हुये हैं । इसके अतिरिक्त उन्हे संबंधित क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का अनुभव होना चाहिये ।
- बच्चों से संबंधित मामलों में विशेषज्ञ : न्युन्तम बारहवीं पास या समकक्ष जो बच्चों से संबंधित कार्य में लगे हुये हैं । और इसके अतिरिक्त उन्हे संबंधित क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का अनुभव होना चाहिये ।

- नोट 1. - कोई व्यक्ति बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये विचारणीय नहीं होगा, यदि वह :
- (i) किसी विधि के अधीन विगत में दोषी सिद्ध हुआ हो ।
 - (ii) बच्चों से दुर्व्यवहार अथवा बाल श्रमिकों रोजगार लगाने अथवा अन्य किसी मानवाधिकार के मामले या अवैतनिक कार्य में शामिल रहा हो ।
 - (iii) ऐसा कोई अन्य व्यवसाय कर रहा हो, जिसके कारण वह समिति के कार्य के निष्पादन पर आवश्यक समय तथा ध्यान न दे सकता हो ।
- नोट 3. समिति के कार्यकर्ताओं को प्रति बैठक 500/-रुपये की दर से यात्रा/बैठक भत्ता दिया जायेगा ।
- नोट 4. - आवेदक जो निर्धारित योग्यतायें रखते हो अपना आवेदन पत्र तथा बायो- डाटा शैक्षणिक योग्यतायें, अनुभव प्रमाण पत्रों सहित भिजवाने के लिये संबंधित जिला की कार्यक्रम अधिकारी जिला स्तरीय आई सी 0 डी 0 एस 0 सैल के कार्यालय में दिनांक 28 -8-2012 तक अवश्य प्रस्तुत करें ।

सुमिता मिश्रा, आई 0 ए 0 एस 0
महानिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
बेज न 0 15-20, पॉकेट -II, सैक्टर-4, पंचकूला, ।